सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा RAS
मु. न. :– 66/2015

वादी:–

गणेशाराम पुत्र श्री शिवराम जाति जाट वर्ष निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1. लालसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
2. अर्जुनसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
3. झब्बरसिंह पुत्र श्री रावतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व रेकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी अधिवक्ता :– श्री हरदेवाराम चौधरी
प्रतिवादी अधिवक्ता :– श्री श्रीराम चौधरी

निर्णय — दिनांक 12/11/15

वादी के वाद का सक्षिप्त में सार निम्न प्रकार है कि मौजा ग्राम आनन्दपुरा पटवार हल्का आनन्दपुरा में कृषि भूमि खसरा नं. 38 रकबा 2.05 हैक्टर स्थित चली आ रही है।

मौजा ग्राम आनन्दपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 38 रकबा 2.05 हैक्टर में वादी प्रतिवादीगण के साथ सह खातेदार है।

वादी ने प्रतिवादी 1ता3 के पिता स्व. श्री रावतसिंह से खसरा नं. 38 रकबा 2.05 हैक्टर में से रावतसिंह के हिस्से के नोशनल शेयर 1/2 हिस्से में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 26.06.2001 को 0.16 हैक्टर भूमि क्रय की थी तथा भूमि का भौतिक कब्जा उसी दिन विक्रेता रावतसिंह से प्राप्त कर लिया था।

वादी द्वारा स्व. रावतसिंह से दिनांक 26/06/2001 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय की गई भूमि रकबा 0.16 हैक्टर का नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु बेचाननामे की फोटो प्रति मय आवेदन पत्र के हल्का पटवारी आनन्दपुरा को दे दी थी तथा हल्का पटवारी ने वादी को पूर्ण रूप से आश्वासन दे दिया था कि वह उसके नाम नामान्तरकरण भरकर ग्राम पंचायत से तस्दीक करवा देगा। वादी द्वारा हल्का पटवारी से बार–बार सम्पर्क करने पर उसने कहा कि आपके नाम नामान्तरकरण खोल दिया गया है।

हल्का पटवारी आनन्दपुरा ने उसके द्वारा खसरा नं. 38 में क्रय की गई भूमि रकबा 0.16 हैक्टर का नामान्तरकरण वादी के नाम ही खोला। वादी ने अभी हाल ही में हल्का पटवारी आनन्दपुरा से खसरा नं. 38

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

की खतौनी की नकल प्राप्त की तो वादी को यह जानकारी हुई कि वादी द्वारा स्व. रावतसिंह से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 26/06/2001 को क्रय की गई भूमि रकबा 0.16 हैक्टर का नामान्तरकरण वादी के नाम खोला नहीं गया है तथा रावतसिंह की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 597 दिनांक 06/08/2012 के द्वारा विरासत व हकत्याग से नामान्तरकरण स्व. रावतसिंह के स्थान पर प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम खोल दिया गया है।

वादी द्वारा हल्का पटवारी आनन्दपुरा से खसरा नं. 38 की खतौनी प्राप्त करने पर जानकारी होने पर हल्का पटवारी आनन्दपुरा को उसके द्वारा स्व. रावतसिंह से खरीद की गई भूमि रकबा 0.16 हैक्टर का नामान्तरकरण अपने नाम खोलने हेतु कहा तो हल्का पटवारी ने इनकार कर दिया तथा वादी को कहा कि स्व. रावतसिंह की मृत्यु हो जाने पर उनके स्थान पर हकत्याग व विरासत से नामान्तरकरण उसके तीनों पुत्रों प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के हक में खुल जाने से अब उपरोक्त क्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण आपके पक्ष में खोला नहीं जा सकता है इसके लिए आप सक्षम न्यायालय में जाकर कार्यवाही करें। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को कहा गया कि आपके पिता स्व. रावतसिंह जी से मैंने दिनांक 26/06/2001 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान 0.16 हैक्टर भूमि खरीद की है जिसका नामान्तरकरण मेरे नाम आज दिन तक नहीं खोला गया है। मेरे नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के लिए हल्का पटवारी व राजस्व अधिकारियों को कहें तो वादी को उन्होंने ऐसा करने के लिए मना कर दिया है।

वादी द्वारा ग्राम आनन्दपुरा में स्थित कृषि खसरा नं. 38 रकबा 2.05 हैक्टर में से स्व. रावतसिंह के हिस्से की भूमि में से भूमि रकबा 0.16 हैक्टर को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 26/06/2001 को खरीद किया था तथा कब्जा भौतिक रूप से प्राप्त कर लिया था। वादी खसरा नं. 38 में भूमि रकबा 0.16 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है तथा वादी द्वारा स्व. रावतसिंह से दिनांक 26/06/2001 को जरिये राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने का कानून अधिकारी है इसलिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती पेश करना लाजमी हुआ है।

बिनाय दावा अभी हाल ही में वादी द्वारा हल्का पटवारी आनन्दपुरा से खसरा नं. 38 की खतौनी की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई की वादी क्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण आज दिन तक वादी के पक्ष में नहीं खोला गया है तब हल्का पटवारी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को वादी के हक में नामान्तरकरण खुलवाने के लिए कहा गया तो वे स्पष्ट रूप से इनकार हो गये बमुकाय आनन्दपुरा उत्पन्न हुआ है जो आज दिन तक निरन्तर जारी है।

मौजा ग्राम आनन्दपुरा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 38 रकबा 2.05 हैक्टर में वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 26/06/2001 को स्व. रावतसिंह से खरीद की गई भूमि रकबा 0.16 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रेकर्ड में संशोधन कर वादी के नाम 0.16 हैक्टर भूमि की खातेदारी दर्ज करने व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के हिस्से में से 0.16 हैक्टर भूमि का रकबा कम किये जाने के आदेश राजस्व अधिकारियों को दिये जाएं इस आशय की एक घोषणा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। दिनांक 9.12.2015 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 का इकबाली जवाब वकील श्री श्रीराम चौधरी ने पेश किया शा.मि. प्रतिवादी संख्या 4 गैर हाजिर एकतरफा की हुई है। वकुलाय बहस सुनाई बहस सुनी बाद बहस वादी का वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात खतोनी, बेचान रावतसिंह द्वारा ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नं. 38 रकबा 2.05 हैक्टर नेश नल शेर 1/2 हिस्से में से 0.16 हैक्टर भूमि वादी गणेशाराम पुत्र शिवराम जाट के बेचान किया हुआ संलग्न है। उक्त बेचान का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने एवं रावतसिंह की मृत्यु होने से वारिसान के

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

नाम खातेदारी होने से वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। प्रतिवादीगण की सुनवाई व तलबी जारी की गई। खातेदारों ने वाद पत्र एवं उक्त बेचाननामा को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया शा.मि. है। वकीलवादी ने ही अपनी बहस में यह बात दोहराई। वादी का वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात बेचान इकबाली जवाब आदि से न्यायालय का मत है कि खातेदार रावतसिंह द्वारा वादी को बेचान करने पर एवं बेचान का अमल नहीं होने पर तथा रावतसिंह की मृत्यु होने के बाद उनके हक की सम्पूर्ण खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम हो गई। प्रतिवादी 1ता3 ने वाद को स्वीकार कर इकबाली जवाब पेश करने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955काबिल स्वीकार होने से स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

मौजा ग्राम आनन्दपुरा के खसरा नं. 38 रकबा 2.05 हैक्टर (मृतक रावतसिंह के नेशनल शेयर 1/2 हिस्से यानि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्से में कम कर) 0.16 हैक्टर का वादी गणेशाराम पुत्र श्री शिवराम जाट निवासी आनन्दपुरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। बाकि खाता यथावत रहेगा। डिक्री प्रचा भरा जाकर शा.मि. किया जावे। राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार कुचामन को तहरीर जारी हो। मिसल नं. से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12/12/2015 को लोक अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)